The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 5 | May 2024
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

भारत की संवैधानिक संस्थाओं में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारीः एक विश्लेषण

डॉ. कमलेश कुमार टांक
अतिथि व्याख्याता
राजनीति विज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Keywords:
महिला सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व, राजनीतिक संस्थाएं एवं राजनीतिक सहभागिता

ABSTRACT

महिला सशक्तिकरण एक वैश्विक अवधारणा है जो महिलाओं को अपनी विशेष पहचान एवं शक्ति को सभी क्षेत्रों में महसूस करने के योग्य बनाती है। भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अपेक्षाकृत काफी कम है जो वैश्विक स्तर पर उनकी हीन दशा को चित्रित करती है। प्रस्तुत शोध महिला सशक्तिकरण के विविध आयामों पर चर्चा करते हुए भारतीय राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व एवं उनकी राजनीतिक सहभागिता की वर्तमान स्थिति का वैश्विक परिप्रेक्ष्य में वर्णन प्रस्तुत करता है। यह शोध भारतीय राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की कम भागीदारी के लिए उत्तरदायी कारकों एवं समस्याओं पर भी प्रकाश डालता है। साथ ही उनकी सक्रिय भूमिका के लिए उचित सुझाव भी प्रस्तुत करता है। भारतीय राजनीति में काफी महिलाएं उच्च राजनीतिक पदों तक पहुंची है। परन्तु अभी भी उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है और महिला प्रतिनिधियों का संबंध संभ्रात वर्ग से हैं। अतः भारत में वास्तविक रूप में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी तभी बढ़ सकती है जब उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधि संस्थाओं में उनकी आबादी के अनुपात में उचित भागीदारी प्रदान की जाए। यह शोध मूलतः

द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है जो गुणात्मक पद्धति अपनाते हुए प्रस्तुत विषय क्षेत्र का अध्ययन करता है।

विषय परिचयः

किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी एक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य संगठक है। राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्ति के विश्वास एवं मूल्यों के आधार पर समाज के प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार मनोवृति प्रतिक्रिया तथा भागीदारी निर्धारित होती है। इस प्रकार व्यक्ति राजनीतिक सामाजीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति के आधार पर प्राप्त राजनीतिक संज्ञान दृष्टिकोण मूल्यों विश्वासों एवं अभिवृतियों के आधार पर राजनीतिक व्यवहार एवं सहभागिता करता है। राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक व्यवस्था को वैधता स्थायित्व एवं निरंतरता प्रदान करती है। साथ ही राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक विकास एवं राजनीतिक आधुनिकीकरण का भी आधार प्रस्तुत करती है। राजनीतिक सहभागिता मुख्यतः लोकतांत्रिक समाजों में पायी जाती है जहां वयस्क मताधिकार स्वतंत्रता समानता तथा लोकप्रिय सम्प्रभुता विद्यमान होती है। राजनीतिक तंत्र चाहे वे सर्व सत्तावादी अनुदारवादी या प्रतिक्रियावादी हो अपनी सत्ता की वैधता एवं निरंतरता के लिए नागरिकों को राजनीति में भाग लेने के उचित अवसर प्रदान करती है। अतः राजनीतिक सहभागिता आधुनिक समय में अलग अलग अनुपात में विद्यमान है।

राजनीतिक भागीदारी का आशय है, न केवल मतदान के अधिकार का प्रयोग करना, बल्कि शक्ति साझा करना, सह निर्णय लेना और राज्य के सभी स्तरों पर नीति निर्माण में भाग लेना। अर्थात् मतदान का अधिकार, सत्ता का बंटवारा, राजनीतिक दलों की सदस्यता, चुनावी अभियान, पार्टी–बैठकों में सक्रिय भाग लेना, चुनाव लड़ना और नीतिगत फैसलों में भागीदारी करना शामिल है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के सामानय लक्ष्यों को तय करने और इसे प्राप्त करने के सर्वोत्तम तरीके की तुलना में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी प्रभावशाली नहीं है।
राजनीति में महिलाओ का सशक्तिकरण एक वैश्विक विषय है। यह एक सक्रिय एवं बहुस्तरीय प्रक्रिया है जो महिलाओं को अपनी पहचान एवं अपनी शक्ति को सभी क्षेत्रों में महसूस करने के योग्य बनाता है। चूंकि महिलाओं के साथ सभी क्षेत्रों में असमानता का व्यवहार किया जाता है। उनकों आर्थिक

सामाजिक राजनीतिक स्वास्थ्य शिक्षा पोषण एवं कानूनी सभी क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अतः महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाना अति आवश्यक है।

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा सम्पूर्ण विश्व के विभिन्न नारीवादी एवं समतामूलक आंदोलनों का परिणाम है। वस्तुतः महिला सशक्तिकरण का प्रश्न बहुआयामी है जो उनके बुनियादी मानवाधिकारों से गहरे रूप में जुड़ा हुआ है। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य उन्हें अधिक शक्ति उपलब्ध कराया जाना है ताकि उनमें चेतना और उन क्षमताओं का विकास किया जा सके जो उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहभागिता निभाने के लिए प्रेरित करे। महिला सशक्तिकरण का मुख्य लक्ष्य पितृ सत्तात्मक विचारधारा को चुनौती देना एवं उन संस्थाओं और ढांचों को बदलना हैं जो लिंग आधारित भेदभाव और सामाजिक असमानता को लगातार मजबूत करते हैं। गरीब एवं अशक्त महिलाओं को सशक्त करके उन्हें सत्ता के स्रोतों तक पहुंचने लायक बनाना तथा भौतिक और सूचना प्रणाली के विभिन्न स्रोतों पर नियंत्रण स्थापित करना है।

सशक्तिकरण एक आदर्श और पेचीदा अवधारणा है जिसकी व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की जा सकती है। रेण्डम हाउस शब्दकोष के अनुसार 'सशक्तिकरण शक्ति के विचार से उद्धृत है जिसका आशय है शक्ति या अधिकार देना'। पेंगुइन शब्दकोष के अनुसार 'सशक्तिकरण का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह को सत्ता या कानूनी शक्ति देना किसी को कार्य करने के लिए शक्ति और विश्वास देना तथा किसी व्यक्ति या समूह को अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र क्षमता प्रदान करना'।

यूएनडीपी रिपोर्ट (1994) में सशक्तिकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जो व्यक्ति और समूह को समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के शक्ति संतुलन को परिवर्तित करने के योग्य बना सके। आंद्रे बेते ने इसी सन्दर्भ में कहा है कि 'सशक्तिकरण समाज में परिवर्तन से संबंधित है कार्बर के अनुसार सशक्तिकरण का अर्थ वह स्वतंत्रता है जो कोई कार्य करने के सबसे अच्छे तरीके के साथ जुडी हुई है'।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व का मुद्दा काफी पहले से ही विश्व समुदाय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर चूका था। परन्तु व्यावहारिक रूप में यह वर्ष 1995 में आयोजित हुए चौथे विश्व महिला सम्मेलन में महिला अधिकारों के लिए हुए वैश्विक वाद विवाद के बाद सामने आया है। इस सम्मेलन के पश्चात् लिंग आधारित न्याय और समानता की मांग सभी विवादों में चर्चा

का विषय रही। इस सम्मेलन में राजनीतिक और नीति निर्माणकारी संस्थाओं तक महिलाओं की पहुँच और पूर्ण भागीदारी पर विशेष रूप से बल दिया गया। बीजिंग सम्मेलन के त्रि–पक्षीय लक्ष्यों समानता विकास और शक्ति की प्राप्ति में महिला सशक्तिकरण का मुद्दा केंद्र में था। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महिलाओं का नीति निर्धारक संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व होना अति आवश्यक माना गया।

महिलाओं की राजनीतिक स्थितिः भारतीय सन्दर्भ में

भारत की राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी उनके सशक्तिकरण की शर्त ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति की सूचक है जो महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों एवं उनके समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। महिलाओं के लिए राजनीतिक दलों, निर्वाचनों, सामाजिक आंदोलनों जैसे औपचारिक राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेना पर्याप्त नहीं है बल्कि उन्हें उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना भी आवश्यक हैं। साथ ही उनकी राजनीतिक संस्थाओं में भागीदारी बढ़ाने के लिए उचित सुझाव भी प्रस्तुत करता है।

प्राचीन भारतीय संस्कृति की अवधारणा पुरूषों एवं महिलाओं की समानता की समर्थक है जिसका आधार अर्दनारीश्वर की संकल्पना है। यह संकल्पना विकास, समृद्धि, सहयोग आदि पर आधारित है जो समान भागीदारी एवं सम्मान की बात करती है। यह तथ्य सर्वविदित है कि राजनीति का प्रमुख उद्देश्य देश का सर्वांगीण विकास है और यह तभी प्राप्त किया जा सकता है जब समाज के प्रत्येक वर्ग की इसमें बराबर की भागीदारी हो। साथ ही इसका प्रतिफल समाज के प्रत्येक वर्ग को बिना किसी भेदभाव के बराबर मिले। अतः लिंग आधारित भेदभाव को मिटाकर तथा पुरूष और महिला को बराबरी का दर्जा देकर ही देश का विकास संभव है।

भारतीय समाज के अंतर्गत महिलाओं ने सदैव सक्रिय योगदान एवं सहयोग दिया है। प्राचीन भारत में गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं ने शास्त्रों के निर्माण में अपना योगदान दिया। महिलाओं का योगदान केवल साहित्य और दर्शन तक ही सीमित न होकर प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने पूरा योगदान दिया। राजतंत्र में सम्राट के साथ बैठकर राज्य संचालन में बराबर की भागीदारी करती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर युद्धकाल के दौरान शस्त्र संचालन में भी निपुण थी। रामायणकाल में महारानी कैकयी ने देवासुर संग्राम में दशरथ के प्राण बचाये थे। इसी प्रकार भारतीय इतिहास में महारानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान जैसी महिलाओं ने अति कुशलता से राज्य के शासन का संचालन

किया। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दोरान भी अनेक महिलाओं ने अपने सक्रिय योगदान द्वारा देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह स्वतंत्रता के बाद महिलाओं ने देश के अनेक हिस्सों में लोकतांत्रिक शासन का कुशल संचालन किया।

वैदिककाल में महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा हासिल था और उस समय का समाज मातृसत्तात्मक था अर्थात् परिवार की मुखिया महिला ही मानी जाती थी, परंतु उत्तर वैदिककाल में महिलाओं की स्थिति में उत्तरोत्तर गिरावट आयी और मध्यकाल में इनकी स्थिति में काफी दयनीय हो गयीं हालांकि आधुनिक काल में महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी बढ़ी है जो कि एक सकारात्मक संकेत है परंतु यह पर्याप्त नहीं है।

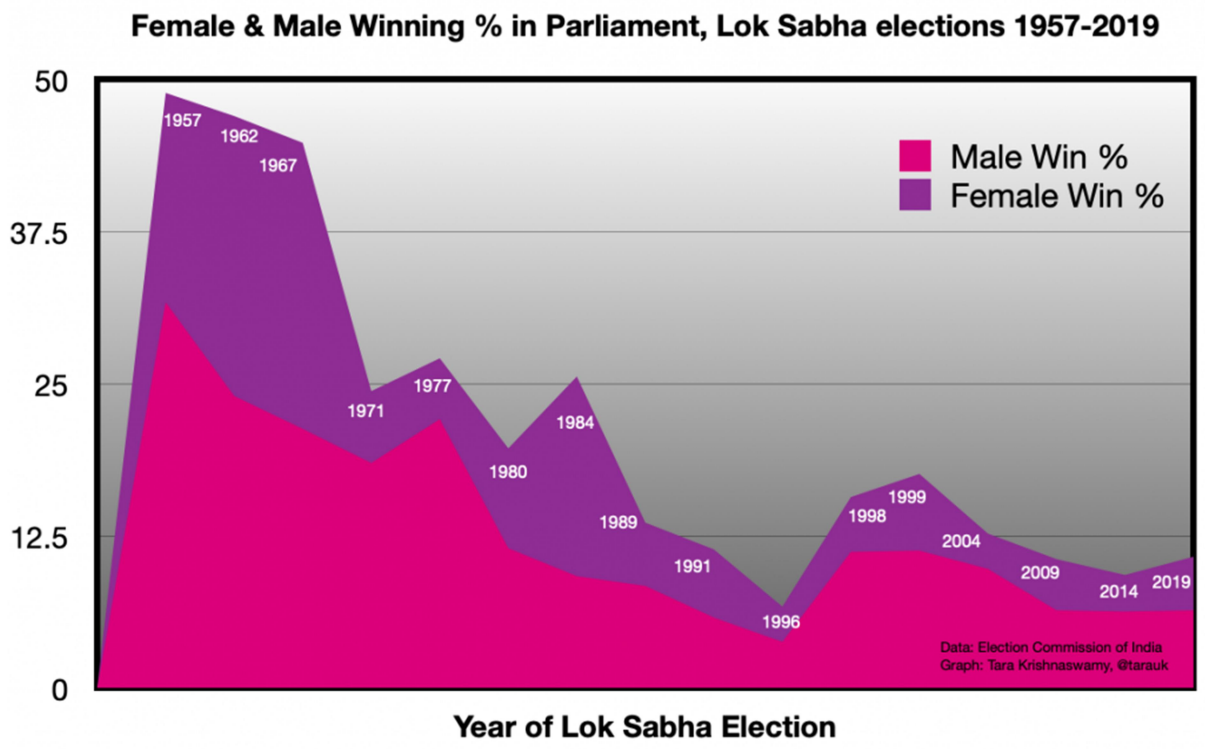

वर्तमान में महिलाऐं पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्थाओं की नींव है और वे प्रशासनिक एवं राजनीतिक तंत्र में भी तेजी से अग्रसर हो रही है। हालांकि उनके समक्ष अनेक चुनौतियां है जिनका सफलतापूर्वक सामना करने के लिए उनमें नयी चेतना एवं जागरूकता निरंतर आ रही है जो उनको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि महिलाऐं सशक्त होकर राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी आगे आए और देश के विकास में अपना सक्रिय योगदान निभायें।

भारतीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 1952 से 2019 तक

क्र.सं.	चुनावी वर्ष	लोकसभा (निचला सदन)			राज्यसभा (ऊपरी सदन)		
		कुल सीटें	महिला सदस्य	प्रतिशत	कुल सीटें	महिला सदस्य	प्रतिशत
1.	1952	499	22	4.4	219	16	7.3
2.	1957	500	27	5.4	237	18	7.5
3.	1962	503	34	6.8	238	18	7.6
4.	1967	523	31	5.9	240	20	8.3
5.	1971	521	22	4.2	243	17	7.0
6.	1977	544	19	3.4	244	25	10.2
7.	1980	544	28	7.9	244	24	9.8
8.	1984	544	44	8.1	244	28	11.4
9.	1989	517	27	5.3	245	24	9.7
10.	1991	544	39	7.2	245	38	15.5
11.	1996	543	39	7.2	223	20	9.0
12.	1998	543	43	7.9	245	15	6.1
13.	1999	543	49	9.0	245	19	7.8
14.	2000	543	59	10.8	245	21	8.57
15.	2004	545	45	8.29	245	28	11.4
16.	2009	545	59	10.87	245	24	9.7
17.	2014	545	66	12.15	245	31	12.6
18.	2019	545	78	14.3	245	32	13.0

स्रोतः www.parliamentofindia.nic.in

राज्यसभा में महिला प्रतिनिधित्वः

राज्यसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति देखें तो 1952 में इनकी संख्या 15 (6.94 प्रतिशत) थी जो 2014 में बढ़कर 2014 में 31 (12.76 प्रतिशत) और 2019 में 26 (10.83 प्रतिशत) हो गयी है।

Women in Rajya Sabha, 1952-2020

Data: https://rajyasabha.nic.in/rsnew/publication_electronic/Journey_1952.pdf

Table: Tara Krishnaswamy, @tarauk

YEAR	WOMEN	%	YEAR	WOMEN	%
1952	15	6.9	1988	25	10.6
1954	17	7.8	1990	24	10.3
1956	20	8.6	1992	17	7.2
1958	22	9.5	1994	20	8.3
1960	24	10.2	1996	19	7.8
1962	18	7.2	1998	19	7.7
1964	21	8.9	2000	22	9
1966	23	9.8	2002	25	10.2
1968	22	9.6	2004	28	11.4
1970	14	5.8	2006	25	10.2
1972	18	7.4	2008	24	9.8
1974	18	7.5	2010	27	11
1976	24	10.1	2012	26	10.6
1978	25	10.2	2014	31	12.7
1980	29	12	2016	27	11
1982	24	10.1	2018	28	11.4
1984	24	10.3	2020	25	10.2
1986	28	11.5			

Total number of women members elected/nominated to Rajya Sabha including those with more than one term = 208

राज्यसभा में इससे पहले 2014 में महिला सदस्यों की सर्वाधिक संख्या 31 थी। उच्च सदन के सेवानिवृत्त हो रहे 57 सदस्यों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी सहित पांच महिला सदस्य शामिल हैं। इन दोनों के अलावा सेवानिवृत्त हो रही महिला सदस्यों में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की छाया वर्मा, मध्य प्रदेश से भाजपा की सम्पतिया उइके और बिहार से राष्ट्रीय जनता दल की मीसा भारती हैं।

इनमें निर्मला सीतारमण और मीसा भारती ही ऐसी हैं, जिनकी फिर से उच्च सदन में वापसी हो गई है। सीतारमण कर्नाटक से तो भारती बिहार से फिर से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। छाया वर्मा, उइके और सोनी को उनकी पार्टियों की ओर से उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। राज्यसभा की

आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सेवानिवृत्त हो रही पांच महिला सदस्यों को मिलाकर वर्तमान में राज्यसभा के कुल 232 सदस्यों में महिला सदस्यों की कुल संख्या 27 है। इनमें 10 महिला सदस्य भाजपा की हैं। वर्तमान में राज्यसभा में सात मनोनीत सदस्यों सहित सहित कुल 13 रिक्तियां हैं।

चुनाव जीतकर पहली बार राज्यसभा पहुंचने वाली महिला सदस्यों में उत्तर प्रदेश से भाजपा की संगीता यादव और दर्शना सिंह, झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा व राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष महुआ मांझी, छत्तीसगढ़ से रंजीत रंजन, ओड़िशा से बीजू जनता दल की सुलता देव, मध्य प्रदेश से भाजपा की सुमित्रा वाल्मिकी और कविता पाटीदार तथा उत्तराखंड से कल्पना सैनी शामिल हैं।

निर्वाचन आयोग ने हाल ही में 57 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब, तेलंगाना, झारखंड और उत्तराखंड में सभी 41 उम्मीदवारों को पिछले शुक्रवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था। इन उम्मीदवारों में सीतारमण को छोड़कर उपरोक्त नौ महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। चार राज्यों में शेष 16 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ, जिनमें महाराष्ट्र की छह, कर्नाटक तथा राजस्थान की चार–चार और हरियाणा की दो सीटें थीं। इन सीटों पर उम्मीदवारों की संख्या संबंधित राज्यों में सीटों की संख्या से अधिक थी। लिहाजा, मतदान की नौबत आई। इनमें एकमात्र महिला उम्मीदवार सीतारमण ही थीं और उन्होंने भी जीत दर्ज की।

हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ ने एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए राज्यसभा में उप–सभापतियों के पैनल में 50 फीसदी महिला सदस्यों को नामित किया है। मानसून सत्र से पहले पुनर्गठित पैनल में कुल आठ नाम हैं, जिसमें से आधी महिलाएं हैं। राज्यसभा के इतिहास में यह पहला मौका है कि उप–सभापतियों के पैनल में महिला सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहीं, इस फैसले से राज्यसभा में पहली बार लैंगिक समानता स्थापित होगी। इनमें नागालैंड से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी गई पहली महिला एस. फांगनोन कोन्याक, पद्म श्री पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध एथलीट पी. टी. उषा, फौजिया खान और सुलाता देव शामिल हैं।

भारत के विभिन्न राज्यों में महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति केंद्रीय संस्थाओं से भी खराब है जिन राज्यों में 10 प्रतिशत से अधिक महिला विधायक हैं, उनमें बिहार (10.70), छत्तीसगढ़ (14.44), हरियाणा (10),

झारखंड (12.35), पंजाब (11.11), राजस्थान (12), उत्तराखंड (11.43), उत्तर प्रदेश (11.66), पश्चिम बंगाल (13.70) और दिल्ली (11.43) शामिल हैं। देश भर की विधानसभाओं में महिला विधायकों की औसत संख्या महज आठ फीसदी ही है।

कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना में 10 फीसदी से भी कम महिला विधायक हैं। हाल ही में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधियों में 8.2 प्रतिशत महिलाएं हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश में इस बार केवल एक महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं। इस प्रकार राज्य विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधियों की संख्या काफी कम है जो एक चिंताजनक स्थिति है।

लोकतंत्र का तात्पर्य सभी मानव व्यक्तियों अर्थात् पुरूषों और महिलाओं की समानता है परंतु वास्तविक रूप में महिलाओं को इससे बाहर रखा गया है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में चाहे वह विकासशील हो या विकसित महिलाओं को इससे बाहर रखा गया है। आज भारत में मतदाता के रूप में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है लेकिन उनकी राजनीतिक भागीदारी उसी अनुपात में नहीं बढ़ी है। हर स्तर पर राजनीतिक भागीदारी में पुरूषों का वर्चस्व है। हेनरी चाफे का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव गहरी जड़ों वाली संरचना में पाया जाता है।

महिलाओं की राजनीतिक स्थिति भारतीय सन्दर्भ में भारतीय राजनीतिक संस्थाओं में देश की आजादी के 72 वर्षों बाद भी महिलाओं की स्थिति को अच्छा नहीं माना जा सकता है। आज भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पुरुषों का ही वर्चस्व है। संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की दर 10 प्रतिशत से भी कम है जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बाधा है।

भारत में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफी पिछड़ी हुई है। हालांकि महिलाओं सामाजिक मान्यताओं और रीति रिवाजों को तोड़कर इन क्षेत्रों में आगे आ गयी हैं परन्तु राजनीतिक क्षेत्र को अपनाने में आज भी हिचकिचाहट है। इसके पीछे अनेक कारण विद्यमान हैं। वास्तव में महिलाओं को राजनीति में आने के लिए कई प्रकार की चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसे तीन मुख्य भागों में बांट सकते हैं।

1. सामाजिक आर्थिक बाधाएं:

- कार्य का दोहरा भार
- कमजोर आर्थिक स्थिति
- शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता एवं प्रशिक्षण की कमी।

2. राजनीतिक बाधाएं:
    - राजनीति का पितृसत्तात्मक स्वरुप और अपराधीकरण
    - महिलाओं और महिला संगठनों के बीच तालमेल का अभाव
    - राजनीतिक दलों की उदासीनता और असहयोग।
3. वैचारिक और मनोवैज्ञानिक बाधाएं:
    - पितृसत्तात्मक ढांचे के अंतर्गत परम्परागत भूमिका
    - आत्म विश्वास की कमी
    - राजनीति के बारे में हीन सोच
    - मीडिया की भूमिका।

उपरोक्त कारणों से महिलाओं की भारतीय राजनीति में भागीदारी एवं भूमिका काफी कम है। काफी सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद भारतीय राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व न्यून बना हुआ है। अतः वास्तविक रूप में महिला सशक्तिकरण के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाये जिससे वे राजनीति के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा सके।

विभिन्न आम चुनावों में महिला उम्मीद्वारों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा काफी कम है। लोकसभा और राज्यसभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुषों की अपेक्षा काफी कम है। प्रथम आम चुनाव 1952 में यह 4 प्रतिशत था और वर्तमान में 2009 के आम चुनाव में केवल 59 महिलाओं ही चुनाव जीत पाई थी। इसी प्रकार 2014 और 2019 के आम चुनावों में क्रमशः 66 और 78 महिलाओं ने चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश किया। परन्तु यह कुल प्रतिनिधित्व का केवल 14 प्रतिशत ही है।

इस प्रकार भारत की सर्वोच्च राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य है। इसके लिए भारतीय सामाजिक मान्यताओं के साथ साथ राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को चुनावों में प्रत्याशी नहीं बनाना भी एक मुख्य कारण है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को टिकट

नहीं देने के पीछे का कारण उनका महिलाओं के जीतने की सम्भावना पर शक करने के साथ उनका महिलाओं के प्रति विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त रहना भी है। उनको डर रहता है कि महिलाओं के राजनीति में आने से उनकी शक्ति कम हो जायेगी जो उनकी संकीर्ण मानसिकता की परिचायक है।

विश्व की आधी आबादी होने के नाते महिलाएँ राजनीति पर व्यापक प्रभाव डालती है और विभिन्न राजनीतिक दल उन्हें वोट के लिए आकर्षित करने का प्रयास करते है। इससे महिला स्वतंत्रता को भी बढ़ावा मिलता है जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सजग होती है।

900 मिलियन से अधिक भारतीय मतदाताओं में से लगभग 430 मिलियन महिलाएं है और हाल के वर्षो में उन्होंने पुरूषों की तुलना में बड़ी संख्या में मतदान किया है। लेकिन भारत के 29 राज्य विधानसभाओं और सात संघ शासित प्रदेशों में महिला प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से भी कम है।

हाल ही में सम्पन्न 17वीं लोकसभा चुनाव में यह भागीदारी अपेक्षाकृत बढ़ी है लेकिन पर्याप्त नहीं है। इन चुनावों में 78 महिला सांसद चुनी गई है जो कुल सदस्यों का लगभग 15 प्रतिशत है। महिला सांसदों की दृष्टि से भारत अपने पड़ोसी देशों बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली की सीमा मुस्तफा के अनुसार ''विधायिकाओं में महिलाओं का न्यून प्रतिनिधित्व भारतीय राजनीति के पितृसत्तात्मक ढांचे के कारण है।''

देशीय समूहों की व्यवस्थापिकाओं में महिला प्रतिनिधित्व का क्षेत्रवार वर्गीकरण

क्र.सं.	देशीय समूह	महिला प्रतिनिधित्व (प्रतिशत)
1.	नोर्डिक देश	41.4
2.	अमेरिकी देश	21.1

3.	यूरोपीय देश	19.1
4.	एशियाई देश	17.4
5.	सब सहारा अफ्रीकी देश	17.2
6.	प्रशांतीय देश	13.4
7.	अरब देश	9.6

स्रोतः http://www.iwac/resources/fact:sheet

वैश्विक स्तर पर केवल कुछ देशों में ही राजनीति में पुरूषों के साथ महिलाओं की बराबर भागीदारी है।यद्यपि वर्तमान में लगभग सभी महिलाओं को मताधिकार प्राप्त है परन्तु महिला प्रतिनिधिओं की संख्या तुलनात्मक रूप से पुरुषों की अपेक्षा काम ही है। आज पूरे विश्व की व्यवस्थापिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व औसतन 18 प्रतिशत है। वर्ष 1945 से 2018 के दौरान संप्रभुता संपन्न देशों की संख्या में सात गुना वृद्धि दर्ज की गयी है। परन्तु पूरे विश्व में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल चार गुना बढ़ा है।

विश्व के प्रमुख विकसित देशों यथा ब्रिटेन अमेरिका फ्रांस जापान आदि देशों की व्यवस्थापिकाओं में महिला प्रतिनिधियों की संख्या काफी कम है। जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैण्ड जैसे देशों में महिलाओं की राजनीति में सक्रिय भागीदारी है। पूरे विश्व में सिर्फ नोर्डिक देशों में महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा बेहतर है। हालांकि कुछ अफ्रीकी और एशियाई देशों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

यद्यपि भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार की स्वतंत्रता और समानता की गारंटी दी जिसमें प्रमुख रूप से अनुच्छेद 14, 15, 16, 325, 326 है महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अनुच्छेद 243(डी) पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है। उपरोक्त संवेधानिक प्रावधानों के बावजूद राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया है। अर्थात् ये संविधान के उद्देश्यों के विरोधाभासी हैं।

निष्कर्षः

भारत की सर्वोच्च राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ानी है तो संसद में महिलाओं के लिए उचित आरक्षण निर्धारित करने के साथ–साथ राजनीतिक दलों के संविधान में भी परिवर्तन करना होगा जिससे राजनीति में उनकी भागीदारी निश्चित अनुपात में बढ़े। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता को बढ़ाकर महिलाओं के नेतृत्व और संचार कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे वे सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़कर समाज में अपनी स्थिति मजबूत कर सके।

वैश्विक स्तर पर यह देखा गया है कि जहां भी महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में बेहतर प्रतिनिधित्व मिलता है, वहां समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास की बेहतर संभावना होती है। शासन में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करके ही लैंगिक समानता स्थापित की जा सकती है। अतः वास्तविक रूप में महिला सशक्तिकरण के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाये जिससे वे राजनीति के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. Kapur, Promilla. (ed.). *Empowering the Indian Women*. Delhi: Publication Division, 2001.
2. Dolan, Julie & others. *Women and Politics: Paths to Power & Political Influence*. New York: Rowman & Littlefield, 2019.
3. Kaushik, Sushila. (ed.). *Knocking at the Male Bastion: Women in Politics*. Delhi: National Commission for Women Publication, 1997.
4. Phillips, Anne. *The Politics of Presence*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
5. Rai, Shirin M.and Carole Spray. *Performing Representation: Women Members in the Indian Parliament*. New Delhi: Oxford Uni. Press, 2018.
6. Rai, Praveen. "Women's Participation in Electoral Politics in India: Silent Feminisation." *South Asia Research,* 37, no.1 (2017).
7. Young, Iris Marion. *Justice and the Politics of Difference*. Princeton: Princeton University Press, 1990.
8. Shankar, B.L. and V. Rodrigues. *The Indian Parliament: A Democracy at Work*. New Delhi: Oxford University Press, 2014.
9. Shanti, K. *Empowerment of Women*. Delhi: Anmol Publications Pvt. Ltd., 1998.

10. Agrawal, Meenu. *Women Empowerment: Today's Vision for Tomorrow's Mission.* Delhi: Mahamaya Publishing House, 2007.
11. Dahlerup, D., (ed.) *Women, Quotas and Politics*. New Delhi: Routledge, 2013.
12. Lal, S. *Women in Indian Politics*. New Delhi: Kunal Books, 2011.
13. Flavia, Agnes. *Law and Gender Inequality: The Politics of Women Rights in India*. New Delhi: Oxford University Press, 2001.
14. Menon, Nivedita, (ed.). *Gender and Politics in India: Themes in Politics*, New Delhi: Oxford University Press, 2001.
15. Desai Meera & Thakkar Usha. *Women in Indian Society*. Delhi: NBT, 2001.
16. Sinha, Niroj. *Women in Indian Politics: Empowerment of Women through Political Participation*. New Delhi: Gyan Publishing, 2000.
17. Gandhi, Gaurav. *Indian Women in Politics*. New Delhi: Random Publications, 2012.
18. Ganesamurthy, V.S. (ed.). *Empowerment of Women of India: Social, Economic and Political.* Delhi: New Century Publications, 2008.
19. Jain, C.R. *Women Parliamentarian in India*. Bombay: Sujeet Publishers, 1991.
20. Jharta, Bhawana. *Women and Politics in India*. Delhi: Deep & Deep Publications, 1996.
21. Hust, Evelin. *Women's Political Representation Empowerment in India*. Delhi: Manohar, 2004.
22. Chadha, Anuradha. Political participation of women,' A case study in India, *International Journal of Sustainable Development*, (May, 2014) Vol. 07, No.2, pg. 91-108.
23. Valsamma, Antony. Education and Empowerment: The Key to Women Empowerment. *Kurukshetra,* (Feb., 2006), Vol.54, No.04, pp.32-36.
24. Devi, D. Shyamala & Lakshmi G. Political Empowerment of Women in Indian Legislature: A Study. *Indian Joyurnal of Political Science*, (March, 2005), Vol.66, No.01, pp.56-62.
25. Faridi, M.H. & Ghazala Parveen. Dynamics of Women's Participation and Empowerment in 21st Century. *Mainstream*, (March, 2011), Vol.49, No.11, pp. 12-16.
26. Roy, Anupama. Empowerment for Social Change. *Yojana,* (Oct.2008), Vol.52, pp.17-21.
27. Thanikodi A. & Sugirtha M. Status of Women in Politics. *Indian Journal of Political Science,* (July-Sept. 2007), Vol.68, No.03, pp.25-31.
28. Hoodfar, Homa &Mona Tejali. *Electoral Politics: Making Quotas work for Women. London*: Women Living Under Muslim Laws, 2011.
29. Fadia, Kuldeep. "Women's Empowerment through Political Participation in India." *Indian Journal of Public Administration* LX, no. 3 (July-Sept., 2014).

30. Kapoor, Mudit and Shamika Ravi. "Women's Voters in Indian Democracy." *Economic and Political Weekly* XLIX, no. 12, (March 22, 2014).
31. Sharma, Eliza. "Women and Politics: A case study of Political Empowerment of Indian Women". *International Journal of Sociology & Social Policy*, 13 April, 2020.